

केंद्रीय व्यवसाय संघों द्वारा श्रम कल्याण की माँग

प्रलिस के लिये:

[केंद्रीय व्यवसाय संघ \(CTU\)](#), [भारतीय श्रम सम्मेलन](#), [श्रम संहिताएँ](#), [राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन \(NMP\)](#), [नजीकरण](#), [वनिविश](#), [रैपटाकोस मामला- 1991](#), [नशिचति अवधिका रोजगार](#), [अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन](#), [गगि वरकर](#) ।

मेन्स के लिये:

श्रम सुधार और श्रम कल्याण से संबधति मुददे

स्रोत: द हद्वि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने [केंद्रीय व्यवसाय संघ \(CTU\)](#) के साथ एक [गोलमेज़ बैठक](#) आयोजति की तथा [चार श्रम संहिताओं](#) के कार्यान्वयन पर आगे की चर्चा करने पर सहमति वियकृत की ।

- इसके अतरिकित CTU ने [पूर्ववर्ती पेंशन योजना](#) की पुनःस्थापना की माँग की, [भारतीय श्रम सम्मेलन \(ILC\)](#) के आयोजन का अनुरोध कयिा और [अनौपचारिक क्षेत्र](#) के लयिे अधकि समर्थन की माँग की ।

केंद्रीय व्यवसाय संघों (CTUs) की मुख्य माँगें क्या हैं?

- भारतीय श्रम सम्मेलन (ILC) की पुनःस्थापना:** CTU ने [भारतीय श्रम सम्मेलन \(ILC\)](#) की तत्काल बैठक बुलाने की माँग की है, जो एक त्रपिकषीय नकियाय है जसिकी **वर्ष 2015 से कोई बैठक नहीं हुई** है ।
 - उनका तरक है क श्रम कानूनों में महत्त्वपूर्ण बदलाव, जसिमें 29 केंद्रीय कानूनों का संहतिकाकरण और [चार श्रम संहिताओं](#) का पारति होना शामिल है, [ILC](#) के साथ उचति परामर्श के बनिा हुआ ।
- चार श्रम संहिताओं की समीक्षा और संशोधन:** CTU का तरक है कनिई श्रम संहिताएँ **बड़े नगिमाँ का पक्ष** लेकर श्रमकिों के **अधकिारों को कमज़ोर** करती हैं । जैसे नई संहिताएँ कंपनयिों के लयिे (वशिष रूप से 300 से कम कर्मचारयिों वाली कंपनयिों के लयिे) सरकार की अनुमति के बनिा श्रमकिों को **काम पर रखना और बरखासत करना** आसान बनाती हैं ।
 - उन्होंने नौकरी की सुरक्षा, सामूहकि सौदाकारी, काम के घंटे, [सामाजकि सुरक्षा प्रावधानों](#) और अनुपालन आवशयकताओं के बारे में अपनी चतिाओं को दूर करने के लयिे इन संहिताओं पर आगे की चर्चा की माँग की है ।
- सार्वजनकि क्षेत्र के उदयमाँ के नजीकरण और वनिविश पर रोक:** उन्होंने [राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन \(NMP\)](#) का वशिध कयिा है, जसिे राषट्रीय परसिपत्तयिों को नजी नगिमाँ को अंतरति करने के कदम के रूप में देखा जाता है ।
 - CTU [सार्वजनकि क्षेत्र के उपकरमाँ \(PSU\)](#) और [सार्वजनकि क्षेत्र के उदयमाँ \(PSE\)](#) जैसे भारतीय रेलवे के नजीकरण, वनिविश एवं बकिरी पर तत्काल रोक लगाने की माँग करते हैं ।
- उचति न्यूनतम मजदूरी का कार्यान्वयन:** CTU द्वारा **15वीं ILC (वर्ष 1957)** की संसुतुति तथा [1991 में सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय के आधार पर न्यूनतम वेतन कम से कम 26,000 रुपए प्रतिमाह](#) नरिधारति करने की माँग की गई है ।
 - वे मुदरासफीतिके अनुरूप **प्रत्येक पाँच वर्ष में नयिमति वेतन संशोधन की माँग** करते हैं ।
- रोज़गार सृजन और नौकरी की सुरक्षा:** बढ़ती बेरोज़गारी को नरिथितरति करने के लयिे CTU [नशिचति अवधकि रोजगार नीतयिों](#) को वापस लेने की माँग करते हैं, जो वशिष रूप से प्रवासी श्रमकिों में नौकरी की असुरक्षा उत्पन्न करती हैं ।
 - उन्होंने [अगनपिथ योजना](#) को समाप्त करने तथा [अंतरराषट्रीय श्रम संगठन \(ILO\) कन्वेंशन संख्या 1](#) का पालन करने का आह्वान कयिा, जो **8 घंटे का कार्यदविस अनवियारय** करता है ।
 - [रोज़गार से जुडी प्रोत्साहन योजना \(ELI\)](#) योजनाओं पर वसितृत चर्चा हुई, जनिसे देश में दो करोड नौकरयिों के सृजन का अनुमान है ।
- पूर्ववर्ती पेंशन योजना (OPS) की पुनरस्थापना:** CTU गैर-अंशदायी [पूर्ववर्ती पेंशन योजना](#) की पुनरस्थापना की माँग करते हैं, जसिके बारे में उनका मानना है कयिह सेवानवितृत श्रमकिों को बेहतर सामाजकि सुरक्षा प्रदान करती है ।
 - वे [कर्मचारी पेंशन योजना \(EPS\)](#) वर्ष 1995 के अंतरगत आने वाले लोमाँ के लयिे न्यूनतम पेंशन **9,000 रुपए प्रतिमाह** और कसिी

भी योजना के अंतर्गत न आने वाले लोगों के लिये न्यूनतम पेंशन 6,000 रुपए प्रतिमाह की मांग करते हैं।

भारत में व्यवसाय संघ के पंजीकरण हेतु प्रावधान

- **पंजीकरण प्रावधान:** एक पंजीकृत व्यवसाय संघ में संबंधित प्रतिष्ठान या उद्योग में **कम-से-कम 10% या 100 कर्मचारी** (जो भी कम हो) होने चाहिये तथा न्यूनतम 7 सदस्य होने चाहिये।
- **ट्रेड यूनियन बनाने से छूट:** परिचालन दक्षता बनाए रखने के लिये कुछ संगठनों को ट्रेड यूनियनों में शामिल होने से छूट दी गई है।
 - कुछ संगठन जो ट्रेड यूनियन/व्यवसाय संघ नहीं बना सकते हैं वे हैं:
 - **सशस्त्र बल:** भारतीय सशस्त्र बलों (सेना, नौसेना और वायु सेना) के कर्मचारी ट्रेड यूनियन बनाने के पात्र नहीं हैं।
 - यह सशस्त्र बल अधिनियम, 1950 द्वारा शासित है, जो सशस्त्र बलों के भीतर ट्रेड यूनियनों के गठन को प्रतिबंधित करता है।
 - **पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ:** पुलिस बल (अधिकारों पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1966 इंस्पेक्टर के पद से नीचे के अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का संघ या समूह बनाने से रोकता है।

भारतीय श्रम सम्मेलन (ILC) क्या है?

- ILC श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय में शीर्ष स्तरीय **त्रिपक्षीय परामर्शदात्री समिति** है, जिसमें नमिनलखित शामिल हैं:
 - **केंद्रीय व्यवसाय संघ संगठन:** श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
 - **नियोक्ताओं के केंद्रीय संगठन:** नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।
 - **सरकारी प्रतिनिधि:** श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, राज्य सरकारें, केंद्रशासित प्रदेश और संबंधित केंद्रीय मंत्रालय/वर्ग शामिल हैं।
- यह देश के श्रमिक वर्ग से संबंधित मुद्दों पर सरकार को सलाह देता है।
- **भारतीय श्रम सम्मेलन** (जिसमें तब **त्रिपक्षीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन** कहा जाता था) की पहली बैठक **वर्ष 1942** में हुई थी।

चार श्रम संहिताएँ क्या हैं?

- **चार श्रम संहिताएँ:** सरकार ने 29 श्रम कानूनों को मिलाकर उन्हें 4 श्रम संहिताओं में संहिताबद्ध किया है:
 - **वेतन संहिता, 2019:** इसने प्रत्येक श्रमिक के लिये **"जीविका के अधिकार"** को सुनिश्चित करने हेतु सभी कर्मचारियों के लिये न्यूनतम वेतन और समय पर भुगतान के प्रावधानों को सार्वभौमिक बना दिया।
 - इसमें यह अनिवार्य किया गया है कि **मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों** को अगले महीने की 7 तारीख तक, साप्ताहिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को **सप्ताह के अंत तक** तथा दैनिक मज़दूरी पाने वालों को **उसी दिन** भुगतान किया जाए।
 - **औद्योगिक संबंध संहिता, 2020:** यह श्रमिकों के ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकारों की रक्षा करने, नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच टकराव को कम करने और **औद्योगिक विवादों** के निपटारे के लिये नियम प्रदान करने हेतु एक ढाँचा प्रदान करता है।
 - संहिता का उद्देश्य औद्योगिक विवादों को प्रभावी ढंग से हल करके **औद्योगिक शांति** और सद्भाव प्राप्त करना है।
 - **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020:** इसमें जीवन एवं दवियांगता बीमा, स्वास्थ्य एवं **मातृत्व लाभ** तथा भवषिय निर्धि जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत स्व-नियोजित, गृह-आधारित, मज़दूरी, प्रवासी, **असंगठित क्षेत्र** और **गगि श्रमिक** शामिल हैं।
 - **व्यवसायगत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थितियाँ संहिता, 2020:** यह उद्योग, वननिर्माण, कारखाने आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण पर ज़ोर देता है।
 - यह संहिता नमिनलखित क्षेत्रों में लागू है:
 - **20 या अधिक श्रमिकों** वाले कारखाने जहाँ वननिर्माण प्रक्रिया वदियुत की सहायता से होती है।
 - **40 या अधिक श्रमिकों** वाले कारखाने जहाँ वननिर्माण प्रक्रिया वदियुत की सहायता के बिना होती है।

CTUs की मांगों को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाने की आवश्यकता है?

- **समावेशी परामर्श और संवाद:** सरकार को **चार श्रम संहिता कार्यान्वयनों के संबंध में** सरकार, नियोक्ताओं और श्रमिक संघों के बीच त्रिपक्षीय संवाद बनाए रखते हुए वर्तमान और भवषिय के श्रम सुधारों पर चर्चा करने हेतु ILC का समय निर्धारित और संचालन करना चाहिये।
- **रोज़गार और सामाजिक सुरक्षा:** रोज़गार की असुरक्षा में योगदान देने वाली नश्चित अवधाकी रोज़गार नीतियों पर पुनर्विचार करें और रोज़गार की स्थिरता पर अग्नपिथ योजना के प्रभाव का आकलन करें।
- **प्रवासी श्रमिकों के लिये राष्ट्रीय नीति:** यूनियनों की मांग है कि अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम, 1979 के सुदृढीकरण और प्रभावी कार्यान्वयन के साथ-साथ प्रवासी श्रमिकों के लिये एक व्यापक राष्ट्रीय नीति तैयार करने पर विचार किया जाना चाहिये।
- **ILO अभिसमय का अनुसमर्थन:** यूनियन घर-आधारित श्रमिकों पर ILO अभिसमय C177 के अनुसमर्थन की मांग करती है ताकि उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कवरेज के उनके अधिकार सुनिश्चित हो सकें।

222222 222222 222222:

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न

प्रश्न: नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि:(2017)

1. कारखाना अधनियिम, 1881 को औद्योगकि मज़दूरों की मज़दूरी तय करने और मज़दूरों को ट्रेड यूनियन बनाने की अनुमतदिने के उद्देश्य से पारति कयि गया था ।
2. एन.एम. लोखंडे बरटिशि भारत में श्रमकि आंदोलन के आयोजन में अग्रणी थे ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

प्रश्न .वर्ष 1929 के व्यापार वविाद अधनियिम में नमिनलखिति प्रावधान कयि गए थे(2017)

- (a) उद्योगों के प्रबंधन में श्रमकिों की भागीदारी ।
- (b) औद्योगकि वविादों को कम करने के लयि प्रबंधन को मनमानी शक्तिथिँ ।
- (c) व्यापार वविाद की स्थिति में बरटिशि न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप ।
- (d) न्यायाधकिरणों की एक प्रणाली और हड़तालों पर प्रतबिंध

उत्तर: (d)

प्रश्न: प्राचीन भारत के गलिड (शरेणी) के संदर्भ में, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमकि नभिाई, नमिनलखिति में से कौन-सा कथन सही है/हैं? (2012)

1. प्रत्येक गलिड राज्य के केंद्रीय प्राधकिरण के साथ पंजीकृत था और राजा उन पर मुख्य प्रशासनकि अधकिारी था ।
2. मज़दूरी, कार्य के नयिम, मानक और कीमतें गलिड द्वारा तय की जाती थीं ।
3. गलिड के पास अपने सदस्यों पर न्यायकि शक्तिथिँ थीं ।

नमिनलखिति कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न

प्रश्न.1920 के दशक से राष्ट्रीय आंदोलन ने वभिन्न वैचारकि धाराएँ प्राप्त कीं और इस प्रकार अपने सामाजकि आधार का वसितार कयि । चर्चा कीजयि । (2020)

प्रश्न.अंगरेजों द्वारा भारत से अन्य उपनविशों में गरिमटियि मज़दूरों को क्यों ले जाया गया? क्या वे वहाँ अपनी सांस्कृतकि पहचान को बनाए रखने में सक्षम रहे हैं? (2018)

प्रश्न.पछिले चार दशकों में भारत के भीतर और बाहर श्रम प्रवास की प्रवृत्तयिों में आए बदलावों पर चर्चा कीजयि । (2015)

